भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2236
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों का संरक्षण

2236. श्री मुरसोली एस. :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय में/प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग/समझौतों के माध्यम से, बच्चों को हानिकारक, अपमानजनक/वयस्क सामग्री से बचाने तथा एक सुरक्षित और अधिक सकारात्मक डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सोशल मीडिया के उपयोग के लिए आयु प्रतिबंध/सत्यापन तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय फर्जी/अपमानजनक उपयोगकर्ताओं/साइबर अपराधियों को आसानी से ट्रैक करने तथा गोपनीयता से समझौता किये बिना कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मोशल मीडिया खातों के लिए आधार/डिजीलॉकर-आधारित सत्यापन पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने/महिलाओं और बच्चों में ज़िम्मेदार/सकारात्मक डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ तालमेल मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा इस संबंध में विभिन्न उपाय किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसने उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और संरक्षा को

मजबूत करने के लिए कई पहल की है, यह मानते हुए कि डिजिटल उपकरण और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शिक्षा, संचार और मनोरंजन के लिए उपयोगी होने के साथ हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने, साइबर बुलिंग और गोपनीयता उल्लंघन आदि जैसे जोखिम भी पैदा कर सकते हैं। इनमे शामिल है:

i. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("मध्यवर्ती नियम, 2021") अधिसूचित किया गया है, जो मध्यस्थों को गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखने, ऐसी जानकारी को समयबद्ध रूप से हटाने या हटाना सुनिश्चित करने तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। गैरकानूनी जानकारी में ऐसी कोई भी जानकारी शामिल होती है, जो अन्य बातों के अलावा, अश्लील, प्रोनोग्रफिक, पीडोफिलिक, दूसरे की निजता पर हमला, लिंग के आधार पर अपमान या उत्पीड़न, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक या हिंसा भड़काने अथवा बच्चे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से धर्म या जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देती है।

ii. मध्यवर्ती नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर जांच-पड़ताल और सावधानी बरतने का दायित्व डालते हैं। ऐसे जांच पड़ताल दायित्वों में मध्यस्थ अपने उपयोगकर्ताओं को बच्चे के लिए हानिकारक है या किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, स्टोर, अपडेट या साझा नहीं करने का उचित प्रयास करेगा। मध्यस्थों से यह भी अपेक्षित है कि वे तत्समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली सूचना जो न्यायालय के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार या इसकी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से उनकी जानकारी में लाई जाए उसको हटा दें।

iii. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया गया है जो स्पष्ट रूप से बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिसमें बच्चे के किसी भी व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले डेटा रखने वाले को माता-पिता की सत्यापित सहमति प्राप्त करने को आवश्यक बनाया गया है। यह अधिनियम डेटा रखने वाले को बच्चों पर नज़र रखने या उनके व्यवहार की निगरानी करने या बच्चों पर लक्षित विज्ञापन देने से भी रोकता है।

iv. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जो साइबरस्पेस, ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर स्वच्छता के सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग पर केंद्रित है।

2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने निम्नलिखित शोध अध्ययन/जारी दिशा-निर्देश किए हैं, जिनमें शामिल हैं –

i. "बच्चों द्वारा इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों का उपयोग करने के प्रभाव" (शारीरिक, व्यवहारिक और मनो-सामाजिक)। उक्त शोध अध्ययन के निष्कर्षों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) सहित संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट इस पर उपलब्ध है: https://ncpcr.gov.in/uploads/165650458362bc410794e02_effect1.PDF

ii. एनसीपीसीआर ने वर्ष 2021 में "स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा" पर एनसीपीसीआर के मैनुअल के हिस्से के रूप में "साइबर सुरक्षा" पर एक खंड शामिल किया है, जिसे (मैनुअल) वर्ष 2017-18 में प्रकाशित किया गया था। उक्त मैनुअल को आगे प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ भी साझा किया गया था।

iii. बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और जनता में जागरूकता लाने के लिए वर्ष 2017 में "ऑनलाइन सुरक्षित रहने"- संबंधी दिशानिर्देश और मानक सामग्री जारी की गई थी। आयोग ने उक्त मुद्दे पर संबंधित हितधारकों के लिए समय-समय पर संवेदीकरण-सह-जागरूकता सृजन कार्यशालाओं का आयोजन किया। दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:

https://ncpcr.gov.in/public/uploads/16613370496305fdd946c31_being-safe-online.pdf

iv. आयोग ने स्कूलों में बुलिंग और साइबर बुलिंग की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए और वर्ष 2024-25 में उक्त विषय पर 25 जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए। दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:

https://ncpcr.gov.in/uploads/1714382687662f675fe278a_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-schools-2024.pdf

v. आयोग ने साइबर सुरक्षा पर आईईसी सामग्री विकसित की है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात् यूट्यूब पर उपलब्ध है।

vi. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग- द्वारा तदर्थ समिति को दी गई सिफारिश**

- सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के चिंताजनक मुद्दे और समग्र रूप से बच्चों तथा समाज पर इसके प्रभाव से संबंधित मामले की जांच करने के लिए राज्य सभा ने एक तदर्थ समिति का गठन किया गया। आयोग ने इंटरनेट/वेब पेजों पर पोर्न साइटों के प्रसार के मामले की उचित जांच करने के बाद तदर्थ समिति को अपने सुझाव प्रस्तुत किए जिससे बच्चों की ऑनलाइन स्टाकिंग, उत्पीड़न, ग्रूमिंग आदि जैसे संबंधित जोखिमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

vii. **प्रोनोग्रफिक सामग्री के कारण अपराध करने वाले नाबालिगों के संबंध में बैठक**: "**कथित तौर पर प्रोनोग्रफिक सामग्री से प्रभावित** नाबालिगों द्वारा किए गए क्रिमीनल अपराधों के बढ़ते मुद्दे" के समाधान के लिए 05.08.2024 को एनसीपीसीआर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। गृह मंत्रालय (एमएचए) के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी), विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), दूरसंचार विभाग (डीओटी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

viii. **बाल अधिकारों संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक:** बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए मेटा, गूगल, यूट्यूब, स्नैपचैट, शेयरचैट, रेडिट, बम्बल आदि सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ 13.08.2024 को एनसीपीसीआर कार्यालय में एक बैठक की गई थी।

3. शिक्षा मंत्रालय ने 14 जुलाई, 2020 को प्रज्ञाता दिशानिर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य आयु-उपयुक्त स्क्रीन समय सीमा की सिफारिश करके छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण सुनिश्चित करना है। यह दिशानिर्देश बच्चों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की निगरानी में माता-पिता की भागीदारी के महत्व पर भी बल देते हैं, इंटरनेट के उपयोग के बारे में खुले संचार को बढ़ावा देते हैं, और ऑफ़लाइन खेल और शारीरिक व्यायाम के साथ ऑनलाइन गतिविधियों को संतुलित करते हैं।

4. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विशेष रूप से महामारी के बाद अत्यधिक डिजिटल जुड़ाव के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक प्रभावों के समाधान के लिए कई सक्रिय पहलें की हैं, इनमें स्क्रीन टाइम को कम करते हुए व्यवस्थित और सुरक्षित डिजिटल शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रज्ञाता दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और छात्रों में अच्छी ऑनलाइन आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा पुस्तिका का प्रकाशन शामिल है। सीबीएसई ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड

कंप्यूटिंग (सीडीएसी) के सहयोग से नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिसमें साइबर कल्याण और स्क्रीन पर उपयुक्त समय तक रहने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्कूलों को साइबर जागरूकता दिवस मनाने और साइबर क्लब स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो छात्रों को प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने वाली चिंतनशील गतिविधियों से जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, उचित ऑनलाइन व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल शिष्टाचार दिशानिर्देश पेश किए गए हैं, और सामाजिक संपर्क और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के मानसिक कल्याण पर जोर दिया गया है।

5. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने "कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा" पर एक पुस्तिका जारी की है। हैंडबुक https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Safetolearn_English.pdf पर उपलब्ध है।

6. स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (एसएचडब्ल्यूपी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जो स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देकर उनकी वृद्धि, विकास और शैक्षिक उपलब्धि को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। प्रत्येक स्कूल के दो शिक्षकों को 'हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर (एचडब्ल्यूए)' के रूप में चिह्नित और प्रशिक्षित किया जाता है, जो उल्लासपूर्ण रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर सप्ताह एक घंटे के लिए आयु उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील गतिविधि-आधारित कक्षा सत्रों का संचालन करते हैं। चुनिंदा 11 विषयों में से, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, गैजेट्स और मीडिया महत्वपूर्ण विषय हैं जिसे मीडिया और इंटरनेट का प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए छात्रों के ज्ञान और कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है।

******